## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक R 1352-I-17 /2017 जिला–अनूपपुर

मो0 अबरार पुत्र श्री मरहूम हाजी अब्दुल हफीज निवासी–इस्लाम गंज कोतमा, थाना व तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

मो0 हनीफ पुत्र श्री हाजी नईमुल्ला निवासी – कोतमा तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

...... अनावेदक

**न्यायालय तहसीलदार तहसील कोतमा जिला अनुपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 177/अ–03/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1– यहकि, अनावेदक द्वारा तहसीलदार कोतमा के समक्ष एक आवेदन पत्र भूमि खसरा नं. 1302/4क रकवा 0.081 है0 के संबंध में नक्शा तर्मीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसके संबंध में आवेदक को जानकारी प्राप्त होने पर उसके द्वारा एक आपत्ति इस आशय से प्रस्तुत किया कि खसरा नं. 1302/7 रकवा 0.020 है0, 1302/3/क रकवा 0.116 है0, 1302/8 रकवा 0.28 है0, 1302/4ड रकवा 0.004 है0 ग्राम कोतमा पटवारी हल्का कोतमा राजस्व निरीक्षक मण्डल कोतमा तहसील कोतमा आपत्तिकर्ता/आवेदक भूमि स्वामी है एवं उक्त खसरा नं. अन्य बंटाको का भूमि स्वामी एवं अन्य खातेदार है। आपत्तिकर्ता अपने उक्त भूमियो के तर्मीम हेतु आवेदन न्यायालय तहसीलदार कोतमा के समक्ष प्रस्तुत किया था किन्तु तहसीलदार कोतमा द्वारा वर्ष 2011 से लेकर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

2– यहकि, आपत्तिकर्ता/आवेदक द्वारा कलेक्टर कार्यालय में अधीक्षक भू–अभिलेख जिला अनुपपूर के पत्र क्रमांक 620/18/भू–अभिलेख/2014 दिनांक 30.08.2014 को तहसीलदार कोतमा को पत्र लिखकर तर्मीम हेतु आदेशित किया गया था जिसके आधार भूमि आज दिनांक तक तर्मीम की कोई कार्यवाही लंबित है।

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-1352-एक/2017 मो.अबरार विरूद्ध मो.हनीफ

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 31-10-2018 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक मो.अबरार की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक मो.हनीफ की ओर अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार कोतमा जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 177/अ-03/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 11-05-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br>"1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"<br>4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. | |

भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 26-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य